अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 138(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 591 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आध्यात्मिक आंतरिक मंडल, नाल का भोगल, बस स्टैंड के निकट, संसाद- 382110, जिला-अहमदाबाद, गुजरात द्वारा संसाद, जिला-अहमदाबाद में भूमि,भवन के निर्माण, उपस्करों/उपकरणों के लिए और एम0डी0 पटेल सर्वोदय आंखों /हड्डी का अस्पताल चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में पचास लाख रूपए की कार्पस निधि सहित सत्तर लाख रूपए की अनुमानित लागत पर क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं.सां0आ0 856 (अ0) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आध्यात्मिक आंतरिक मंडल, नाल का भोगल, बस स्टैंड के निकट, संसाद- 382110, जिला-अहमदाबाद, गुजरात द्वारा चलाई जा रही संसाद, जिला-अहमदाबाद में भूमि,भवन के निर्माण, उपस्करों/उपकरणों के लिए और एम0डी0 पटेल सर्वोदय आंखों /हड्डी का अस्पताल चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 37/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)